

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण की सूचना

बिहार सरकार, उद्योग विभाग, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के द्वारा 26 जनवरी, 2026(गणतंत्र दिवस) के अवसर पर गोंधी मैदान, पटना में ट्रॉली युक्त ट्रक पर "समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार" विषय वस्तु पर आधारित झाँकी निर्माण, कलाकारों द्वारा जीवंत प्रदर्शन करने हेतु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से दिनांक 13.01.2026 को 12.00 बजे अपराह्न तक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के कार्यालय में अलग अलग सीलबंद लिफाफे में डिजाइन, तकनीकी और वित्तीय निविदा प्राप्त की जायेगी, जिसे उसी दिन 3.00 बजे अप० में सभी निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। निविदा की शर्तों की जानकारी के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्र, पटना के वेबसाइट www.umsas.org.in पर विजिट करें।

निविदा की शर्तें:-

1.	इकाई का GST,पैन कार्ड तथा अद्यतन आयकर (वित्तीय वर्ष 2024-25) का भुगतान प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2.	प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज न हो। शपथ पत्र देना होगा।
3.	झाँकी निर्माण हेतु चौदह चक्के वाले ट्रक पर किया जाना है। जिसकी साईज 40 फीट लम्बा 12 फीट चौड़ा एवं 15 फीट ऊंचा होगा।
4.	"समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार" शीर्षक विषय वस्तु पर निर्मित की जाने वाली झाँकी (Tableau) का ट्रक के चारों तरफ का 3D डिजाइन लम्बाई, चौड़ाई और उचाई का अनुपात अंकित करते हुए संलग्न करना होगा। झाँकी में संशोधन करने का अधिकार उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को होगा।
5.	जीवंत कलाकारों में 16 सदस्य रहेंगे। झाँकी मंच के लिए अन्य कलाकारों की व्यवस्था सफल निविदादाता को करना होगा। आवश्यकतानुसार सजावट पूर्ण रूप से मधुबनी पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, मंजूषा कला तथा फूल-माला से किया जाना है।
6.	झाँकी निर्माण, सजावट और जीवंत प्रदर्शन के साथ अंत में कुल दर (GST सहित) अंकित करना होगा।
7.	किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा कार्य के उपरांत भुगतान होगा।
8.	कार्य ससमय शुरू नहीं करने पर एवं संतोषप्रद सम्पादित नहीं होने की स्थिति में किसी अन्य ईकाई से कार्य सम्पादित करा लिया जायेगा तथा सफल निविदादाता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
9.	सफल निविदादाता को सभी कार्य दिनांक 24.01.2026 को 04.00 बजे अपराह्न तक कार्य पूरा कर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित कर देना होगा। अन्यथा निविदा का 20% राशि कटौती कर ली जाएगी। दिनांक 25.01.2026 को 01.00 बजे अपराह्न तक कार्य पूरा नहीं होने पर निविदा का 30% राशि कटौती कर ली जाएगी। वास्तविक भुगतान निविदा सूचना के कार्य विवरणी में दिये कार्य सतोषजनक एवं उत्कृष्ट होने पर ही किया जायेगा। मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन के उपरांत बिल का भुगतान होगा।
10.	झाँकी निर्माण में कार्य जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक झाँकी निर्माण से जुड़े कर्मों कोई अन्य किसी का कार्य नहीं करेंगे।
11.	झाँकी निर्माण के क्रम में सफल निविदादाता के कम से कम दो प्रतिनिधि निर्माण स्थल पर रहकर ससमय निर्माण कार्य पूर्ण करावेंगे।
12.	झाँकी निर्माण कार्य में लगने वाली सभी सामग्री सफल निविदादाता को स्वयं अपने खर्च पर उपलब्ध कराना होगा। संस्थान द्वारा कोई भी सामग्री नहीं दी जाएगी।
13.	प्राकृतिक आपदा की स्थिति या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सफल निविदादाता को उसका पुनर्निर्माण करना होगा।

Pradeep

14.	किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
15.	इस निविदा (tender) से जुड़े किसी भी विवाद (dispute) की सुनवाई का अधिकार (jurisdiction) केवल पटना में स्थित सक्षम न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार लागू होगा।
16.	विस्तृत/विशेष जानकारी के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्र, पटना के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

दृ० -

निदेशक,

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

ज्ञापांक 18 /

पटना, दिनांक 06/01/26

प्रतिलिपि- 1. उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना (सूचना पट पर चिपकाने हेतु)।

2. आईटीओ मैनेजर, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



निदेशक,

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।



बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

विषय वस्तु :- समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार।

“समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार” विषय पर आधारित यह झाँकी सात निश्चय-3 के अंतर्गत उद्योग विभाग, बिहार सरकार की औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करती है। झाँकी में विकसित बिहार में उद्योगों की सशक्त भूमिका का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है, जो राज्य के भविष्य की दिशा को दर्शाता है। औद्योगिक आधारभूत संरचना खंड में आईटी पार्क, MSME पार्क तथा टेक्सटाइल पार्क के त्रि-आयामी मॉडलों के माध्यम से निवेश-अनुकूल बिहार की झलक दिखाई गई है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 के अंतर्गत Bihar Government Free Industrial Land योजना के माध्यम से उद्यमियों को 10 से 25 एकड़ तक औद्योगिक भूमि मात्र 1 रुपये टोकन राशि पर उपलब्ध कराए जाने की पहल को प्रदर्शित किया गया है, जिससे राज्य को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। झाँकी MSME, स्टार्टअप, कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बिहार का सशक्त चित्र प्रस्तुत करती है।

उद्योग विभाग अंतर्गत उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना द्वारा प्रस्तुत इस झाँकी में उपरोक्त तथ्यों को दर्शाया गया है।


निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।